रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052020-219612
CG-DL-E-28052020-219612

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 28, 2020/ज्येष्ठ 7, 1942
No. 242] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 2020/JYAISHTHA 7, 1942

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2020

सा.का.नि. 317(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा जम्मू और श्रीनगर को ऐसे स्थानों के रुप में विनिर्दिष्ट करती है, जहाँ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठें सामान्यतः जम्मू और कश्मीर के संघ राज्यक्षेत्र एवं लद्दाख के संघ राज्यक्षेत्र के लिए बैठेंगी।

[फा. सं. पी.–13024/1/2019-प्र.अ.(भाग)]

रश्मि चौधरी, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2020

G.S.R. 317(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies Jammu and Srinagar as the places at which the Benches of the Central Administrative Tribunal shall ordinarily sit for the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh.

[F. No. P-13024/1/2019-AT(pt.)]

RASHMI CHOWDHARY, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2020

सा.का.नि. 318(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा तत्कालीन कार्मिक तथा प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 610 (अ), तारीख 26 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में:-

(क) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं	न्यायपीठ	न्यायपीठ का अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"7.	चंडीगढ़ न्यायपीठ	(i) हरियाणा राज्य (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य (iii) पंजाब राज्य (iv) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र";

(ख) क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, नामत्:-

क्रम सं	न्यायपीठ	न्यायपीठ का अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"18	जम्मू न्यायपीठ	(i) जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र (ii) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र"।

[फा. सं. पी.–13024/1/2019-प्र.अ.(भाग)]

रश्मि चौधरी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा. का. नि. सं. 610 (अ), तारीख 26 जुलाई, 1985 के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई --

1. सा. का. नि. संख्या 824 (अ) तारीख 31.10.1985;
2. सा. का. नि. संख्या 308 (अ) तारीख 20.02.1986;
3. सा. का. नि. संख्या 908 (अ) तारीख 25.06.1986;
4. सा. का. नि. संख्या 921 (अ) तारीख 27.06.1986;
5. सा. का. नि. संख्या 897 (अ) तारीख 01.09.1988;
6. सा. का. नि. संख्या 525 (अ) तारीख 12.08.1991;
7. सा. का. नि. संख्या 631 (अ) तारीख 15.10.1991;
8. सा. का. नि. संख्या 418 (अ) तारीख 09.04.1992;
9. सा. का. नि. संख्या 646 (अ) तारीख 18.08.1994;
10. सा. का. नि. संख्या 890 (अ) तारीख 23.11.2000;
11. सा. का. नि. संख्या 683 (अ) तारीख 23.09.2014, और
12. सा. का. नि. संख्या 267 (अ) तारीख 29.04.2020।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2020

G.S.R. 318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pensions *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 26th July, 1985, namely :—

In the Table to the said notification, -

(a) for serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Bench	Jurisdiction of the Bench
(1)	(2)	(3)
"7.	Chandigarh Bench	(i) State of Haryana (ii) State of Himachal Pradesh (iii) State of Punjab (iv) Union territory of Chandigarh";

(b) after serial number 17 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

S. No.	Bench	Jurisdiction of the Bench
(1)	(2)	(3)
"18.	Jammu Bench	(i) Union territory of Jammu and Kashmir (ii) Union territory of Ladakh".

[F No. P-13024/1/2019-AT(part)]

RASHMI CHOWDHARY, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 610(E), dated 26th July, 1985 and subsequently amended *vide*:

(i) G.S.R. No. 824(E) dated 31.10.1985;

(ii) G.S.R. No. 308(E) dated 20.02.1986;

(iii) G.S.R. No. 908(E) dated 25.06.1986;

(iv) G.S.R. No. 921(E) dated 27.06.1986;

(v) G.S.R. No. 897(E) dated 01.09.1988;

(vi) G.S.R. No. 525(E) dated 12.08.1991;

(vii) G.S.R. No. 631(E) dated 15.10.1991;

(viii) G.S.R. No. 418(E) dated 09.04.1992;

(ix) G.S.R. No. 646(E) dated 18.08.1994;

(x) G.S.R. No. 890(E) dated 23.11.2000;

(xi) G.S.R. No. 683(E) dated 23.09.2014, and

(xii) G.S.R. No. 267(E) dated 29.04.2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.05.28 16:08:18 +05'30'